KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Near Sai Mandir, Mussallahpur,Patna - 06
Mob. : 8877918018, 8757354880

Fundamental Duties

By : Karan Sir

शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद-23-24 (Right Against Exploitation : Article– 23-24)

संविधान के अनुच्छेद-23 और 24 में कुछ ऐसे प्रावधान किये गए हैं जो समाज के वंचित वर्गों (दलित, स्त्री, बच्चे, जनजातियाँ आदि) को किसी भी तरह के शोषण से बचाने की व्यवस्था करते हैं। इन दोनों अनुच्छेदों की विषय-वस्तु इस प्रकार है-

- **अनुच्छेद-23 :** मानव के दुर्व्यापार (Trafficking), बेगार और बलात् श्रम (Forced labour) का प्रतिषेध (Prohibition)।
- **अनुच्छेद-24:** कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

अनुच्छेद-23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध (Article–23 : Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour)

अनुच्छेद-23 के अंतर्गत दो खंड हैं - 23 (1) और 23 (2)। इन दोनों का मूल पाठ इस प्रकार है-

- **अनुच्छेद-23 (1):** ''मानव का दुर्व्यापार (Human trafficking) और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम (Forced labour) प्रतिषिद्ध (Prohibit) किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।''
- **अनुच्छेद-23(2):** "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों (Public purposes) के लिये अनिवार्य सेवा (Compulsory service) अधिरोपित करने से निवारित (Prevent) नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म (Religion), मूलवंश (Race), जाति (Caste) या वर्ग (Class) या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।''

सर्वोच्च न्यायालय ने 'मानव दुर्व्यापार' शब्दावली की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित को उसी में शामिल किया है-

- मनुष्यों का क्रय या विक्रय करना;
- किसी स्त्री को वेश्या बनने को बाध्य करना तथा उसकी आय से जीवन-यापन करना, तथा
- दास प्रथा का कोई भी रूप।

अनुच्छेद-23(1) के अंतिम हिस्से में कहा गया है कि ''इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा।'' इसमें निहित है कि अनुच्छेद-23 पर्याप्त नहीं है, उसके अनुरूप दंड की व्यवस्था करने के लिये कोई विधि बनाए जाने की भी जरूरत है। अनुच्छेद 35 के तहत प्राप्त शक्ति के आधार पर संसद ने दो विशेष कानून बनाए हैं जो मानव दुर्व्यापार तथा बँधुआ मजदूरी या बेगार से संबंधित कृत्यों के लिये दंड की व्यवस्था करते हैं। ये हैं-

- अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 [The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956]
- बँधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 [The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976º]

अनुच्छेद-24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध (Article –24 : Prohibition of Employment of Children in Factories etc.)

संविधान के अनुच्छेद-39(ङ) तथा 39(च) में दिये गए नीति-निदेशक तत्त्वों में बच्चों के प्रति जैसी चिंता व्यक्त की गई है, उसी की ज्यादा ठोस अभिव्यक्ति अनुच्छेद-24 में दिखाई पड़ती है। अनुच्छेद-24 विशेष तौर पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे कार्य करने से बचाता है जो उनकी आयु की दृष्टि से उचित नहीं हैं। इसमें निम्नलिखित कार्यों का प्रतिषेध किया गया है-

- कारखानों में काम करने का प्रतिषेध;
- खानों में काम करने का प्रतिषेध; तथा
- किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन (Hazardous employment) में काम करने का प्रतिषेध।

ध्यातव्य है कि संसद ने बहुत से ऐसे कानून पारित किये हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में शामिल होने से बचाते हैं, जैसे- 'कारखाना अधिनियम, 1948' (The Factories Act, 1948), 'बागान श्रम अधिनियम, 1957' (The Plantations Labour Act, 1951), 'खान अधिनियम, 1952' (The Mines Act, 1952), 'शिशु अधिनियम, 1960' (The Children Act, 1960) इत्यादि। इन सभी कानूनों ने भी बच्चों पर हो रहे शोषण व दमन को नियंत्रित करने में सहायता दी है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद-25-28 (Right to Freedom of Religion : Article– 25-28)

अनुच्छेद-25:	अंत:करण (Conscience) की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार (Propagate) करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-26:	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-27:	किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिये कर नहीं देने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद-28:	कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा (Religious instruction) या धार्मिक उपासना (Religious worship) में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।

☞ **धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State):** ये वे राज्य हैं जिनमें राज्य न तो धर्म का विरोध करता है और न ही वह किसी धर्म विशेष के अधीन या उसके प्रभाव में होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों में कुछ खास विशेषताएँ होती हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- राज्य का कोई धर्म नहीं होता।
- राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करता। संविधान, कानून तथा नियम, विनियम इत्यादि सभी धर्मों के अनुयायियों पर लागू होते हैं, धर्म विशेष के अनुसार नहीं।
- प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कई पक्ष शामिल होते हैं, जैसे- अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्मांतरण (Conversion) करने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म नहीं मानने की स्वतंत्रता, नए धार्मिक मत स्थापित करने की स्वतंत्रता इत्यादि। इन राज्यों में प्राय: ये सभी स्वतंत्रताएँ उपलब्ध होती हैं।
- राज्य प्राय: धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, वह केवल आपवादिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करता है जब लोक-व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा के लिये ऐसा करना जरूरी हो जाता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के 'धार्मिक' मसलों में हस्तक्षेप नहीं करता है किंतु धर्म के 'गैर-धार्मिक' या 'सांसारिक' मसलों में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिये, धार्मिक मेलों या सम्मेलनों में सुरक्षा की व्यवस्था या धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति से संबंधित पक्ष धर्म के 'गैर-धार्मिक' पक्ष हैं। इसी प्रकार, यदि धर्म का कोई नियम या कर्मकांड नागरिकों या नागरिकों के किसी वर्ग के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो राज्य उसमें अवश्य हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि किसी नागरिक के अधिकारों का दमन या वंचन यदि धर्म द्वारा समर्थित है तो वह भी धर्म का 'धार्मिक' पक्ष न होकर 'गैर-धार्मिक' या 'सांसारिक' पक्ष है।

☞ **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)**

- धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) में शामिल है।
- धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है।
- धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक अर्थ में यह भी निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने व उसके अनुसार आचरण करने के लिये स्वतंत्र है।
- राज्य के मामलों में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। राज्य का व्यवहार सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ एक जैसा होना चाहिये।
- राजनीति और धर्म को आपस में मिलाना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। धर्म आधारित चुनाव-प्रसार भी संविधान के विरुद्ध है।

अनुच्छेद-25: अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता
(Article –25: Freedom of Conscience and Religion)

अनुच्छेद-25 के अंतर्गत 2 खंड हैं- 25 (1) तथा 25 (2)। अनुच्छेद-25 (1) में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जबकि 25 (2) में उससे जुड़े युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable restrictions) बताए गए हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद-25 (2) के बाद दो स्पष्टीकरण भी दिये गए हैं जो सिख धर्म तथा हिंदू धर्म के बारे में हैं।

अनुच्छेद 25 (1) का मूल पाठ इस प्रकार है-

'लोक व्यवस्था (Public order), सदाचार (Morality) और स्वास्थ्य (Health) तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience) का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण (Practice) करने और प्रचार (Propagate) करने का समान हक होगा।''

किंतु, अनुच्छेद-25 (2) में दो ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन बताए गए हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद-25 (1) में भी 3 निर्बंधनों की चर्चा की गई है। ये सभी निर्बंधन इस प्रकार हैं-

- अनुच्छेद-25 (1) में संकेत किया गया है कि व्यक्ति को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता 'लोक व्यवस्था' (Public order), 'सदाचारश' (Morality) और 'स्वास्थ्य' (Health) के अधीन है, अर्थात् राज्य इन तीनों में से किसी पर खतरा उपस्थित होने पर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
- अनुच्छेद-25 (2) (क) में बताया गया है कि राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित किसी 'गैर-धार्मिक पक्ष', जैसे- आर्थिक या राजनीतिक पक्ष को विनियमित करने के लिये विधि बना सकता है।
- अनुच्छेद-25 (2) (ख) में व्यवस्था है कि 'सामाजिक कल्याण' और 'समाज सुधार' के लिये धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि हिंदू धर्म की धार्मिक संस्थाएँ सभी व्यक्तियों के लिये खुलें, ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिये भी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद- 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
(Article– 26 : Freedom to Manage Religious Affairs)

अनुच्छेद-25 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है, अनुच्छेद-26 में वही अधिकार धार्मिक संप्रदायों या उनके वर्गों को दिया गया है। अनुच्छेद-26 का मूल पाठ इस प्रकार है-

''लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को-

(क) धार्मिक और पूर्त (Charitable) प्रयोजनों के लिये संस्थानों की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का,

(ग) जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, अधिकार होगा।''

अनुच्छेद-27 : किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये कर न देने की स्वतंत्रता (Article– 27 : Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of any Particular Religion)

अनुच्छेद-27 में किया गया प्रावधान राज्य की धर्मनिरपेक्षता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। संविधान निर्माताओं ने विभिन्न धार्मिक समुदायों को समान अधिकार देने की दृष्टि से अनुच्छेद-27 का प्रावधान किया है। अनुच्छेद-27 का मूल पाठ इस प्रकार है-

"किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय (Payment) करने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम (Proceeds) किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि (Promotion) या पोषण (Maintenance) में व्यय करने के लिये विनिर्दिष्ट रूप विनियोजित (Specifically appropriate) किये जाते हैं।''

अनुच्छेद-28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता (Article– 28 : Freedom as to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions)

अनुच्छेद-28 भी राज्य की धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित ऐसी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिये मजबूर न होना पड़े जो उसके अंत:करण के विरुद्ध है। इस आशय से बनाए गए अनुच्छेद-28 के तीन खंड हैं। उनका मूल पाठ इस प्रकार है-

- **अनुच्छेद-28 (1) :** "राज्य-निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- **अनुच्छेद-28 (2) :** खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षण संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास (Endowment) या न्यास (Trust) के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।
- **अनुच्छेद-28(3):** राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने, इसके लिये अपनी सहमति नहीं दे दी है।''

अनुच्छेद-28 के प्रावधानों को सरल रूप में समझने के लिये सभी शैक्षिक संस्थाओं को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है-

(क) राज्य द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित संस्थाएँ;

(ख) राज्य से अंशत: वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ;

(ग) राज्य से मान्यताप्राप्त संस्थाएँ (चाहे वे वित्तीय सहायता न लेती हों); तथा

(घ) ऐसी संस्थाएँ जो राज्य द्वारा प्रशासित हों, किंतु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक न्यास (Trust) आदि के अधीन हुई हैं और जहाँ धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

नियम यह है कि वर्ग (क) की शिक्षण संस्थाओं में किसी भी स्थिति में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिये किया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य सामान्यत: धर्म से दूरी बनाकर चलता है और यदि राज्य द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न उठना तय है।

वर्ग (ख) और वर्ग (ग) में वे संस्थाएँ आती हैं जो राज्य से अंशत: प्रभावित हैं अर्थात् या तो कुछ वित्तीय सहायता लेती हैं या मान्यता। इनके संबंध में नियम यह है कि इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भिन्न धर्म को मानता हो तो उसकी (या यदि वह वयस्क नहीं है तो उसके संरक्षक की) सहमति के बिना उसे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

वर्ग (घ) में वे संस्थाएँ आती हैं जो राज्य द्वारा प्रशासित हैं, किंतु किसी धार्मिक न्यास (Religious trust) आदि के तहत स्थापित की गई हैं, उदाहरण के लिये- मदरसा बोर्ड की शिक्षण संस्थाएँ इसके अंतर्गत शामिल हैं। ऐसी संस्थाएँ धार्मिक शिक्षा देने के लिये स्वतंत्र हैं। अन्य धर्मों के व्यक्ति ऐसी संस्थाओं में इसी शर्त पर प्रवेश ले सकते हैं कि उन्हें उक्त धर्म की धार्मिक शिक्षाओं से कोई आपत्ति नहीं है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'विधि का नियम' या 'कानून का अधिराज्य' का मतलब क्या है?
   (a) सभी के लिये एक कानून और सभी के लिये एक न्यायतंत्र
   (b) सभी के लिये एक कानून और सभी के लिये एक राज्य
   (c) सभी के लिये एक राज्य और सभी के लिये एक न्यायतंत्र
   (d) एक के लिये सभी कानून और सभी के लिये एक न्यायतंत्र
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
2. उन्त मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर-नागरिकों को नहीं :
   I भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   II कानून के समक्ष समता
   III अल्पसंख्यकों के अधिकार
   IV जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण
   (a) (I) और (III) (b) (I) और (IV)
   (c) (II) और (IV) (d) (II) और (III)
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
3. निम्न में से कौन-सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है?
   (a) सूचना का अधिकार (b) शिक्षा का अधिकार
   (c) काम का अधिकार
   (d) मकान का अधिकार
4. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन-सा अधिकार गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध है?
   (a) संवैधानिक निराकरण का अधिकार
   (b) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   (c) देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता
   (d) संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता
5. निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है ?
   (a) भारत के सभी न्यायालयों को
   (b) संसद को
   (c) राष्ट्रपति को
   (d) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को
6. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ?
   (a) अनुच्छेद-19 (b) अनुच्छेद-21
   (c) अनुच्छेद-20 (d) अनुच्छेद-22

7. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्खों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है?
(a) अनुच्छेद - 24 (b) अनुच्छेद - 25
(c) अनुच्छेद - 26 (d) अनुच्छेद - 27

8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है–
(a) समानता के अधिकार से
(b) संपत्ति के अधिकार से
(c) धर्म की स्वतंत्रता से
(d) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से

9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त 'हिंदू' शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता ?
(a) बौद्धों (b) जैनों को
(c) पारसियों को (d) सिक्खों को

10. संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है?
i लोक व्यवस्था ii. राष्ट्रीय सुरक्षा
iii. शिक्षा iv. सदाचार
v. स्वास्थ्य vi. धर्मनिरपेक्षता
(a) (i) (ii) (iii)
(b) (ii) (iii) (v)
(c) (ii) (iv) (vi)
(d) (i) (iv) (v)

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार: अनुच्छेद - 29-30
(Cultural and Educational Rights : Article - 29-30)

● अनुच्छेद-29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण:-

1. "भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।"
2. "राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी . शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश (Race), जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।"

● अनुच्छेद-30 : शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार:-

1. "धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"
1 (क), "खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षण संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिये उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिये विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित (Restrict) या निराकृत (Abrogate) न हो जाए।"
2. "शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।"

[Right to Property (Now Omitted) and Saving of Certain Laws]

☞ **संपत्ति का अधिकार (अब विलोपित) तथा कुछ विधियों की व्यावृति या सुरक्षा :-**

अनुच्छेद- 31 का इतिहास अत्यंत रोचक तथा विशिष्ट है। यह संविधान के मूल अधिकारों के भाग का अकेला अनुच्छेद है जिसे संविधान से हटा दिया गया है। इसे '44वें संविधान संशोधन, 1978' द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग -XII में अनुच्छेद- 300 (क) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 31 (1) तथा 31 (2) के विलोपन के बाद अनुच्छेद 31 (क), 31 (ख) तथा 31 (ग) ही संविधान में शेष हैं पर उनका संबंध कोई मूल अधिकार देने से नहीं, बल्कि कुछ विधियों को सुरक्षा प्रदान करने से है। ये वे विधियाँ हैं जो राज्य के कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मल अधिकारों को सीमित करने का उपबंध करती हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है?
(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 29
(c) अनुच्छेद 26 (d) अनुच्छेद 30
UPPCS (Pro) 1997

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
कथन (A) : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 'अल्पसंख्यक वर्ग' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
कारण (R) : संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए- -
कूट :
UPPCS (Pro) 2019
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

3. भारतीय संविधान मान्यता देता है।
(a) केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को
(b) केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को
(c) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को
(d) धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को
I.A.S (Pre) 1999

❑❑❑

सवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद - 32
(Right to contitutional Remedies : Article -32)

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):-** 'हैबियस कॉर्पस' एक लैटिन अभिव्यक्ति है, जिसका शाब्दिक अर्थ है- 'शरीर प्राप्त करना'। यह रिट एक आदेश के रूप में प्रयुक्त होती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा हो तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पस्थित किया जाए, ताकि न्यायालय इस बात की जाँच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण हैं या नहीं और यदि नहीं हैं तो उसे कैद से मुक्त कराया जा सके। यह रिट सिर्फ राज्य के अधिकारियों और प्राधिकारियों को ही नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों को भी संबोधित हो सकती है।

   कुछ मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थितियाँ निम्नलिखित हैं-

- यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध है अर्थात् उसे 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार गिरफ्तार किया गया है और अभी उसे गिरफ्तार हुए या तो 24 घंटे नहीं हुए हैं या 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
- यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में अभियुक्त (Accused) होने या दोष सिद्ध (Convicted) होने के कारण न्यायिक अभिरक्षा (Judicial custody) या कारावास में रखा गया है।

2. **परमादेश (Mandamus) :-** अंग्रेजी शब्द श्मैंडेमसश का हिन्दी अनुवाद है- 'हम आदेश देते है'। यह रिट भी एक आदेश के रूप में होती है जिसका प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी (Public authority) को आदेश देने के लिये किया जाता है, ताकि वह अपने सार्वजनिक कर्त्तव्य को पूरा करे जिसे पूरा करने से उसने इनकार किया है।

   यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत का समाधान किसी वैकल्पिक उपचार के माध्यम से हो सकता है तो वह उसे ही वरीयता प्रदान करेगा।

   परमादेश रिट जारी करने के लिये कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे-

- प्रार्थी को सिद्ध करना होगा कि उसका कोई कानूनी अधिकार (Legal right) है, जिससे उसे वंचित किया जा रहा है।
- उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि वह जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करने का निवेदन कर रहा है, उसका कोई लोक कर्त्तव्य है जो संविधान या किसी अधिनियम (Act) या किसी अधीनस्थ विधान (Subordinate legislation) द्वारा उस पर आरोपित है।
- प्रार्थी को प्रमाणित करना होगा कि उसने अपने कानूनी अधिकार की उपलब्धि के लिये उक्त प्राधिकारी से निवेदन किया था, किंतु प्राधिकारी ने बिना किसी उचित आधार के काम करने से इनकार कर दिया है या इनकार तो नहीं किया है किंतु काम भी नहीं किया है।

3. **प्रतिषेध (Prohibition):-** प्रतिषेध का अर्थ है- 'रोकना'। यह रिट न्यायपालिका से संबंधित है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध तब निकाली जाती है, जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है या प्राकृतिक न्याय (Natural justice) के नियमों का उल्लंघन करता है। दूसरे शब्दों में, इस रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है।

4. **उत्प्रेषण (Certiorari):-** उत्प्रेषण की रिट भी न्यायपालिका से संबंधित है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को संबोधित की जाती है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय में प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय (Natural justice) के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

   प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मूल अंतर सिर्फ यह है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिये प्रतिषेध रिट जारी की जाती है; किंतु यदि अधीनस्थ न्यायालय अधिकारिता का उल्लंघन करके कोई निर्णय दे चुका है है तो उस निर्णय और तत्संबंधी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिये उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिषेध रिट किसी न्यायिक कार्यवाही के शुरुआती चरण में दी जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट न्यायिक कार्यवाही हो जाने के बाद।

5. **अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) :-** अधिकार पृच्छा 'को वारंटा' का हिन्दी अनुवाद है, जिसका अर्थ हैं- 'आपका प्राधिकार क्या है?' न्यायालय इस रिट का प्रयोग एक कार्यवाही के रूप में करता है। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसके संबंध में यह शिकायत की गई है कि उसने अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उससे पूछता है कि उसने किस प्राधिकार से उक्त पद धारण किया हुआ है। यदि वह पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा रिट जारी करके उसे उस पद से हटा देता है और पद को रिक्त घोषित कर देता है।

❖ अधिकार पृच्छा रिट तभी जारी हो सकती है, जब निम्नलिखित शर्तें अनिवार्यत: पूरी हों-

- जिस पद पर किसी व्यक्ति के अवैध अधिकार की शिकायत की गई हैं, वह सार्वजनिक पद (Public office) होना चाहिये।
- जिस पद पर प्रश्न उठाया गया है, वह स्वतंत्र प्रकृति (Independent nature) का पद होना चाहिये, अर्थात् किसी के प्रसाद (Pleasure) पर आधारित नहीं होना चाहिये।
- जो व्यक्ति उस पद पर आसीन है, उसकी नियुक्ति में संविधान या किसी अधिनियम इत्यादि का उल्लंघन हुआ हो।

☞ **अनुच्छेद-32 तथा अनुच्छेद 226 में अंतर (Difference between Article –32 and Article – 226) :-** जिस तरह अनुच्छेद-32 में सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न रिटै जारी करने की शक्ति दी गई है, उसी प्रकार अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है। इस मामले में उच्च न्यायालयों को प्राप्त शक्ति ज्यादा व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 'अन्य प्रयोजनों' (Other purposes) के लिये भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मौलिक अधिकारों का संरक्षक है–

(a) न्यायपालिका

(b) कार्यकारिणी

(c) संसद

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

2. निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं?

(a) संवैधानिक अधिकार (b) सांविधिक अधिकार

(c) मौलिक अधिकार (d) उपरोक्त सभी

U.P.P.C.S. (Pre) 1997

3. निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है ?

(a) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

(b) संपत्ति का अधिकार

(c) समानता का अधिकार

(d) संवैधानिक उपचार का अधिकार

I.A.S. (Pre) 2002

U.P. P.S.C. (GIC) 2010

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004

U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

कथन (A) : संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था।

कारण (R) : अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

(b) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं, किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।

(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

5. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न 'रिट' जारी करने का अधिकार रखता है ?

(a) अनुच्छेद 32 (b) अनुच्छेद 132

(c) अनुच्छेद 33 (d) अनुच्छेद 226

Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016

6. निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है ?

(a) परमादेश (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण

(c) उत्प्रेषण (d) प्रतिषेध

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

7. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है ?

(a) परमादेश (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण

(c) अधिकार-पृच्छा (d) प्रतिषेध

U.P.P.C.S. (Pre) (Re–Exam) 2015

8. निम्नांकित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण 'टू हैव दि बॉडी ऑफ

(b) परमादेश 'वी कमाण्ड'

(c) प्रतिषेध 'टू बी सर्टिफाइड'

(d) अधिकार पृच्छा 'बाई व्हाट अथॉरिटी'

U.P. P.C.S. (Pre) 2019

9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी रिट (writ) याचिका दायर की जा सकती है ?

(a) मैन्डमस (b) हैबियस कार्पस

(c) को-वारंटो (d) सर्टिओरेरी

M.P.P.C.S. (Pre) 1993

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR